

# प्रेस-नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 07.02.2024

**40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त पीताम्बर निषाद पुत्र स्व0 मुरारी निषाद नि0 लकड़ी मंडी चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर व अभियुक्ता नीलम पत्नी बलराम निषाद नि0 लकड़ी मंडी चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को 40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

### **1. नीलम पत्नी बलराम निषाद नि0 लकड़ी मंडी चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर**

1. मु0अ0सं0 0035/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 51/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 177/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 239/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

### **2. पीताम्बर निषाद पुत्र स्व0 मुरारी निषाद नि0 लकड़ी मंडी चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर**

मु0अ0सं0 0035/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0035/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

## बरामदगी-

40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर

## गिरफ्तारी की टीम-

- 1- उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- हे0का0 हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- का0 प्रवीण कुमार राव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 4- म0का0 अंकिता तिवारी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर